अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31.12.2014

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो – श्री जवाहरलाल शाह
2. वर्तमान धारित पद – सचिव, ग्राम पंचायत गहिलरा
3. वर्तमान वेतन –मूल वेतन 3500 – 10,000 + 1200 = 14700
4. अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम गहिलरा कस्बा पो० छतर जिला म. तहत. निवाड़ी (म०प्र०)	कच्चा	3.21 हे०	80 लाख लगभग	स्वयं	पैतृक	1,00000	—

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर............................

नाम – जवाहरलाल शाह

पद नाम सचिव ग्राम पं० गा

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31.12.2015

अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो – डॉ. [illegible]

2 वर्तमान धारित पद – सचिव, [illegible] वहेदीकला

3 वर्तमान वेतन –मूल वेतन 3500 — 10000 + 1200

4. अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible] सिरोंज	कच्चा / पक्का	—	5.00 लाख लगभग	स्वयं	पैतृक		
		2.00 है०	[illegible] 40.00 लाख	स्वयं / पुत्र [illegible]	— " —	1,50,000/-	—

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर [signature] सचिव

नाम – [illegible]

पद नाम सचिव, [illegible]

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में [..]ली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके [..]र्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर [..] धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31.12.2014

1 अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो – प्रदीप कुमार पाण्डेय

2 वर्तमान धारित पद – सचिव

3 वर्तमान वेतन –मूल वेतन 3500 – 10,000 + 1200 – 14,700=00

4 अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा Nil		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	—				
1	2	3	4	5	6	7	8
सिंगरौली, हर्दी	आवासीय भवन	2 एकड़	5 लाख	स्वयं	पैतृक सम्पत्ति	20,000	—

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर Pandey

नाम – प्रदीप कुमार पाण्डेय

पद नाम सचिव ग्रा.पं. चौरा

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।